राजस्थान सरकार
कृषि ग्रुप–2 विभाग

क्रमांकः–प.15(10)कृषि/ग्रुप–2/90 जयपुर, दिनांकः– 5 AUG 2013

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्या 38) की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या प.15(10)कृषि/2–बी/90 एस.ओ. 181 दिनांक 27.09.1991, समय–समय पर यथा संशोधित, में तत्काल प्रभाव से निम्न संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अन्तिम परन्तुक के पश्चात विद्यमान अभिव्यक्ति "यह अधिसूचना दिनांक 1.10.1991 से प्रभावी होगी।", को निम्न नये परन्तुक से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात :–

"परन्तु यह भी कि फल, सब्जी तथा ऊन के क्रय या विक्रय पर उद्ग्रहणीय मण्डी शुल्क की दर प्रति एक सौ रूपये पर 0.01/– रूपये (एक पैसा) मात्र होगी।"

राज्यपाल के आदेश से,
हo
(आर.आर.सुलानिया)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी0डी0।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री कृषि विपणन, राजस्थान जयपुर ।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राज. जयपुर ।
4. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, कृषि विपणन।
5. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव